

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक/बाद/2018/189

दिनांक:- 20.2.18

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

1. मानाराम पुत्र धर्माराम वगैरा 5
जाति जाट निवासी चक
सन्तरा तह. गिड़ा जिला
बाड़मेर

1. धूडाराम पुत्र मूलाराम वगैरा 17
निवासी सन्तरा तह. गिड़ा जिला
बाड़मेर


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 58/18

आदेश

मौजा चक सन्तरा पटवार हल्का सन्तरा के खेत खसरा नम्बर 273/5, 279/12, 280/20, 284/26, 288/31, 293/31 रकबा कमशः 16.05, 30.05, 13.08, 02.00, 19.02, 39.00 बीघा, मौजा रिडिया रामदेव नगर पटवार मण्डल सन्तरा के खेत खसरा नम्बर 188/9 रकबा 16.04 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भू.अ.निरीक्षक से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों का सीमाज्ञान कर, पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा से पुलिस इमदद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।




(SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक:- 20.2.18

क्रमांक/बाद/2018/190-194
प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा।
2. पटवारी हल्का सन्तरा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री मानाराम पुत्र धर्माराम वगैरा 5।
4. विप्रार्थीगण श्री धूडाराम पुत्र मूलाराम वगैरा 17।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, गिड़ा।


(SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
गिड़ा